न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री चम्पालाल जीनगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये उप वन संरक्षक, नागौर		बंशीलाल पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी साटिकाखुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर(राजस्थान) के कायम मुकामान– 1 कैलाश पुत्र बंशीलाल 2 सुभाष पुत्र बंशीलाल 3 कंचन पुत्री बंशीलाल 4 सरोज पुत्री बंशीलाल 5 बिदामी देवी पत्नी बंशीलाल

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश पुनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र सारस्वत, अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 01, 02 व 05 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 05-08-2025

(1) प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने पीडीआर एक्ट 1952 की धारा 3 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अप्रार्थी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से ग्रीनिंग इण्डिया योजनान्तर्गत पौधारोपण कार्य हेतु राशि रू. 4.50 लाख प्राप्त की। कार्यो की जांच करने पर उक्त समिति डिफॉल्टर पाई गई। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस समिति को दी गई राशि वसूल करने के निर्देश दिये है।

इस संबंध में अप्रार्थी को पत्र लिख कर उक्त राशि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नेशनल एफोरेस्टेशन ईको डवलपमेन्ट बोर्ड में जमा कराने हेतु लिखा गया, लेकिन इन्होने उक्त राशि जमा नहीं कराई है। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाने के कारण लोक अभियाचन अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत प्रपत्र–1 में मांग पत्र एवं बकाया राशि का विस्तृत विवरण पत्र प्रस्तुत कर उक्त बकाया राशि की वसूली करने का अनुरोध किया, जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.2015 के द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी से बकाया राशि वसूली करने के आदेश पारित कर दिये जाने से अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर में अपील प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के प्रकरण संख्या 18/2018 निर्णय दिनांक 21.09.2021 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। जिस पर प्रकरण पुनः नंबर पर लिया जाकर दोनो पक्षो की सुनवाई की गई।

(2) प्रकरण दिनांक 05.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को लोक अभियाचन अधिनियम 1952 की धारा 6 के तहत प्रपत्र 3 में नोटिस एवं धारा 4 के तहत प्रपत्र 2 में प्रमाण–पत्र दिनांक 06.04.23 को जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 05 की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है।

05/8/25
अपर कलक्टर, नागौर

(3)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 05 ने अपनी बहस में बताया कि–

(3)(1)– ग्रामीण विकास खादी समिति के द्वारा ग्राम पंचायत से सहमति मिलने पश्चात ग्रामीण विकास खादी समिति के द्वारा प्रथम चरण का सम्पूर्ण कार्य करवा दिया गया और सम्पूर्ण 4,50,000 रूपये खर्च हो गये। इसका मूल्याकन वन विभाग के रेन्जर जवानाराम तथा भंवरसिंह नाथावथ फोरेस्टर द्वारा किया गया। वह वृक्षारोपण ग्राम पंचायत, जिलाधीश, तहसीलदार, वन विभाग की जानकारी में किया गया था। पौधारापेण हेतु खड्डो की खुदाई, मृदा संरक्षण एवं रखरखाव, खाद नर्सरी की सुरक्षा हेतु कंटीली झाडिया, श्रमिक भुगतान में प्रथम चरण की सम्पूर्ण राशि खर्चा हो गई। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण का आगे का काम रूकाने व इन खसरो में किसी प्रकार का पौधारोपण संबंधी अग्रिम कार्य रूकाने हेतु जिलाधीश नागौर को पत्र लिखा गया जिस पर जिलाधीश के आदेश से तहसीलदार ने आकर समिति को अग्रिम कार्य करने से रूकवा दिया। फिर नर्सरी के पौधे वही नर्सरी में ही जड गये। केवल ग्राम पंचायत खटौडा ने पहले तो वृक्षारोपण का प्रस्ताव पास कर अनुमति दी। फिर प्रथम फेज का कार्य पूर्ण होने पर अप्रार्थी जुलाई की प्रथम बारिश का इंतजार वृक्षारोपण के लिए कर रहा था। इतने में इन्होने दिनांक 17.04.06 को शिकायत करवाकर कार्य रूकवा दिया। अप्रार्थी ने निष्पक्ष जांच करवा कर उचित कार्यवाही करवाए जाने हेतु निवेदन किया।

(3)(2)–समिति द्वारा या समिति के किसी भी पदाधिकारी व सदस्य द्वारा राशि का दुरूपयोग नहीं किया गया। सम्पूर्ण राशि पौधारोपण कार्य में खर्च की जा चुकी है। खर्च की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकती। वसूली अवैध तथा विधि विरूद्व है।

(4) राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा बहस के दौरान बताया कि यह प्रकरण PDR के तहत है, अप्रार्थी द्वारा राजकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने से उक्त प्रकरण वसूली हेतु न्यायालय हाजा में पेश किया है। अप्रार्थी को प्रथम किस्त में 4,50,000/– रूपये पौधारोपण हेतु दी गई थी, परन्तु अप्रार्थी ने पूर्ण कार्य नहीं करने से अप्रार्थी के विरूद्व वसूली हेतु उक्त प्रकरण पेश किया है। अप्रार्थी ने प्रथम किस्त में अंकित अनुबंधों के अनुसार कार्य नहीं किया है। अप्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं है किया कि पौधारोपण हेतु कितने गडडे खोदे गये।

(5) उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी ने पीडीआर एक्ट 1952 की धारा 3 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अप्रार्थी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से ग्रीनिंग इण्डिया योजनान्तर्गत पौधारोपण कार्य हेतु राशि रू. 4.50 लाख प्राप्त की। कार्यो की जांच करने पर उक्त समिति डिफॉल्टर पाई गई। परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है प्रथम किस्त में Nursery Seedlings हेतु 1,06,360 रूपये, Planting Advance work हेतु 2,58,750 रूपये, SMC Word हेतु 73,640 रूपये, Overhead हेतु 3885 रूपये, Awareness raising हेतु 7365 रूपये, कुल 4,50,000 रूपये प्रथम किस्त में अप्रार्थी को दिये गये। अप्रार्थी ने प्रथम किस्त में अंकित अनुबंध Planting Advance work के अनुसार पौधों के रोपण हेतु गडडे किये गये एवं पौधों की खरिददारी भी की गई, तत्पश्चात जिलाधीश के आदेश से तहसीलदार ने आकर समिति को अग्रिम कार्य करने से रूकवा दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी ने प्रथम किस्त की राशि 4.50 लाख रूपये में से पौधारोपण हेतु अग्रिम कार्य में 2,58,750 रूपये की राशि का उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी का यह दायित्व था कि वह मौके पर जाकर जांच करते कि प्रथम किस्त की राशि 4.50 लाख रूपये में से कितना

05/8/14
अपर कलक्टर, नागौर

कार्य अप्रार्थी ने किया है। परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया। अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रथम किस्त में अंकित अनुबंधों के अनुसार 2,58,750 रूपये से पौधारोपण हेतु गडडों को खोदने एवं पौधों की खरीददारी की जाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि 4.50 लाख रूपये प्रथम किस्त में अंकित अनुंबधों के अनुसार कार्य पूर्ण करने के पश्चात देय होगी, परन्तु प्रथम किस्त के अनुसार सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हुए बिना ही प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि कैसे अप्रार्थी को भुगतान कर दी गई? प्रार्थी का दायित्व था कि अगर उक्त प्रथम किस्त का भुगतान जिस कार्मिक ने कार्य पूर्ण होने से पूर्व अप्रार्थी को किया, उसके विरूद्व विधिअनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए थी। प्रार्थी को उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूण जांच करने के पश्चात, जांच में कितनी राशि का उपयोग पौधारोपण हेतु किया गया एवं कितने रूपयों के कार्य में अप्रार्थी डिफॉल्टर पाया गया, तत्पश्चात डिफॉल्टर पाये गये रूपये की वसूली के लिये प्रकरण पेश करते, परन्तु प्रार्थी ने प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि 4.50 लाख रूपये की वसूली हेतु उक्त प्रकरण पेश किया है, जो विधि विरूद्व पेश किया जाना प्रतीत होता है।

(6) उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि जिस कार्मिक ने प्रथम किस्त में अंकित अनुबधों के अनुसार कार्य पूर्ण करने से पूर्व ही प्रथम किस्त का भुगतान किया है उसके विरूद्व विधिनुसार कार्यवाही करते हुए दस्तावेजों की जांच कर अप्रार्थी ने प्रथम किस्त में अंकित अनुबंधों के अनुसार जितना कार्य किया है, उतनी राशि को छोडते हुए, शेष राशि में अगर अप्रार्थीगण डिफॉल्टर पाये जाते है तो उक्त राशि की वसूली हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में पुनः पेश करे।

(7)– निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

05/8/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर